

पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
रजिस्टर आफिस पी.एस.ई.वी. हैड आफिस दी माल, पटियाला-147001

पब्लिक नोटिस

आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऐक्सटरा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाईनों की देख-रेख का काम जो कि लाईनों के साथ गांव, शहरों के नजदीक या बीच से जाती हैं।

(1) 132 के वी सानन-कांगडा लाईन (सर्कट न.1 और 2):-

जोगिंद्र नगर, डोहग, चौतडा हैजू, चौवीन रोड, बैजनाथ, पपरोला, तारागढ़, आर्मी ऐरिआ, अलाहालाल, ठाकुर-द्वारा, लडवडोल रोड, भंटू, फरेड परोर, दरंग, सरला-भंडारी, 61 मील, मला, हटवास, नगरोटा बगवां, बडोह रोड, सनेहड, ठानपुरी, 53 मील कछियारी, घुरकडी,

(2) 132 के वी लाईन कांगडा मामन पठानकोट (सर्कट नं 1 और 2):-

घुरकडी, पुराना मटोर, जमानाबाद रोड, इच्छी, गगल, सनौरा चौक, कुठमा, रजोल, 45 मील, लदवाडा, रेत, पुहाडा, सारनू, शाहपुर, ऊपरला शाहपुर चलेहड, हस्पताल रोड शाहपुर, छतडी, घटनालू, सिंहू, भाली, निचला, भाली, पनहारी, सियूणी, 32 मील, त्रिलोकपुर, सोलदा, कोटला, बल्ला, भेडखड, जौंटा, टटल खज्जियां भडवार, नागनी विन्दरावन, वागनी, खुषीनगर, नूरपुर, वोहड, जसूर, नागावाडी, राजा का वाग, पक्का टियाला, छोटी नागनी, कंडवाल, वाडीखड, लोधवा, गगवाल, थपकोर, भदरोया, चक्कीखड, बैंक कलोनी पठानकोट, नथुनगर पठानकोट, चक दियाल, पुरानी सब्जी मंडी, 132 के.वी.सब-स्टेशन पठानकोट, आर्मी ऐरिया पठानकोट।

सारे रिहासी/गैर रिहासी क्षेत्र और मुहल्लों, गांवों, शहरों व फरमों / डिपार्टमेंट चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी हों, से संबंधित लोगों/आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई लाइनों के दोनों तरफ से कंडक्टर (तारों) से

लाईनों के बाहर की ओर से 5 मीटर (16.6 फुट) तक लाईनों के नीचे कोई ऊसारी करना/कोई स्टक्चर स्थापित करना/ पोधें (वृक्ष) का लगाना (वह चाहे उनका ही कोई हिस्सा हो) और टावरों/स्टक्चरों के चारो ओर 8 मीटर (26.6 फुट) तक मिटी की खुदाई करना भारती बिजली नियम 1910 की धारा-18 और ऊप धारा-3 और भारती बिजली नियम 1956 की धारा 77,80,82 की उल्लघना है।

इस लिए ऐसी कोई भी उसारी/ सटक्चरज वृक्षों को उपरोक्त दर्शाए फैसले तक हटा लिया जावे जी और टावरां/स्टक्चरों के इरद गिरध मिट्टी की भरपाई कर दी जाए। ऐसा ना करने की सूरत में कोई घातक/गैर घातक हादसे से होने वाला किसे भी प्रकार के नुकसान चाहे वह आम पबलिक का हो या पंजाब राज्य ट्रासमीशन कार्पोरेशन का हो या सरकारी प्रपार्टी का हो। उसका जिम्मेदार सबन्धत व्यक्ति/धर्म/विभाग होगा। पंजाब राज्य ट्रासमीशन कार्पोरेशन लिमिटेड उक्त नुकसान की जिम्मेदार नही होगा जी।

अतिरिक्त निगरान इंजनिअर (Add.SE)
पी और एम मंडल, 220 के वी सब सटेशन
पंजाब राज ट्रासमीशन कार्पोरेशन लि0
सरना, (पठानकोट), पंजाब